



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39901-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 101 वर्ष 2026

उमेश यादव

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी अपने कुलसचिव के माध्यम से और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : कमल कृष्ण राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, यादवेन्द्र माणि मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : राहुल अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, रीमा पाण्डेय, अंकुर अग्रवाल, ईशान मेहता

मुख्य न्यायाधीश की अदालत

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

विलंब क्षमा आवेदन पर आदेश

1. यह अपील 73 दिनों के विलंब से बाधित है।
2. अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है।
3. शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर, इसे स्वीकार किया जाता है।
4. अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

अपील के ज्ञापन पर आदेश

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या 39740 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समय बीतने के कारण याचिका निष्प्रभावी हो गई है, हालाँकि, चूंकि मामला प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा एक छात्र, याचिकाकर्ता के निलंबन के आदेश से उत्पन्न हुआ था, इसलिए रिट याचिका का निस्तारण करते समय यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता जब भी किसी संस्थान में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करेगा, तो वह दिनांक 16.11.2024 के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह अपील आदेश के केवल उस हिस्से तक सीमित है जो अपीलार्थी-याचिकाकर्ता पर किसी भी संस्थान में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करते समय उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की बाध्यता डालता है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अपीलार्थी पहले ही दिनांक 16.11.2024 के आदेश के अनुपालन में तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित रहकर दंड भुगत चुका है, इसलिए उसे अन्य संस्थानों में प्रवेश के समय उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता उसके अभ्यर्थन को बिना किसी गलती के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी, अतः आक्षेपित आदेश उस सीमा तक रद्द किए जाने योग्य है।
4. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने यद्यपि अपीलार्थी की उन गतिविधियों की आलोचना की जिनके कारण उसका निलंबन हुआ, तथापि इस संबंध में की गई प्रार्थना का विरोध नहीं किया।
5. दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारी यह दृढ़ राय है कि एक बार निलंबन की अवधि समाप्त हो जाने और विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि याचिका निष्प्रभावी हो गई है, अपीलार्थी को 'जब भी वह किसी संस्थान में आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करता है' अपने निलंबन के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता का कोई अवसर नहीं था। इस प्रवृत्ति का निर्देश, जो छात्र के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और दूसरे संस्थान में प्रवेश पाने के लिए उसकी पात्रता को भी प्रभावित कर सकता है, प्रथम दृष्टया इस संबंध में सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, दिए गए मामले की परिस्थितियों में इसकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं थी।
6. इसे देखते हुए, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दिनांक 09.10.2025 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि पैराग्राफ-7 में निहित निर्देश रद्द रहेंगे।

(माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

23 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"